

डिक्री मुकदमा इन्वार्दाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
वादीया

बनाम

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम
 2. बत्तीलाल पुत्र भैरोलाल
 3. विष्णु पुत्र भैरोलाल
 4. बैकटेश पुत्र भैरोलाल
 5. गीता पुत्री भैरोलाल
- समस्त जातियान मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व रथाई निपेधाज्ञा
मु0न0 68/19

तारीख रज्जू- 03.07.2019

उनवान

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना
 2. रामसिंह पुत्र चैन्याराम मीना
 3. धनराज पुत्र रामसिंह मीना
 4. सुलह सिंह पुत्र रामसिंह
- समस्त जातियान मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत तकारमा व रथाई निपेधाज्ञा

मु0न0 67/19 एवं 68/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट, सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट मिनकानिव गुदई रूवरु, श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट, श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह जाति मीना निवासी भोटवाडा को ग्राम भोटवाडा की आराजी ख0न0 799 रकवा 0.1450 है0 का तथा भैरोलाल पुत्र हरिराम जाति मीना निवासी भोटवाडा को ख0न0 799/1 रकवा 0.0150 एवं 800 रकवा 0.1300 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उभयपक्षकारान को रथायी निपेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की आराजीयात के हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति दोनो मुकदमो मे शामिल की जावे।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....उपजिला कलक्टर
ओहदा.....टोडाभीम (करौली)



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 67/19

तारीख रजु:- 03.07.2019

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.ए.स.

उनवान

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
वादीया

बनाम

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम
 2. बत्तीलाल पुत्र भैरोलाल
 3. विष्णु पुत्र भैरोलाल
 4. बैक्टेश पुत्र भैरोलाल
 5. गीता पुत्री भैरोलाल
- समस्त जातियान मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा

- उपस्थिति :-
1. श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादीगण)
 2. श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

मु0न0 68/19

तारीख रजु:- 03.07.2019

उनवान

1. भैरोलाल पुत्र हरिराम मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह मीना
 2. रामसिंह पुत्र चैन्याराम मीना
 3. धनराज पुत्र रामसिंह मीना
 4. सुलह सिंह पुत्र रामसिंह
- समस्त जातियान मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

- उपस्थिति :-
1. श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादीगण)
 2. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

निर्णय

दिनांक:- 28.02.2020

दोनो प्रकरण समान प्रवृत्ति के होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है:-

मु0न0 67/19

वादी द्वारा प्रस्तुत दादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोटवाडा स्थित आराजी ख0न0 799/0.16, 800/0.13 है0 मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काशतकार है। उक्त आराजी को वादी ने पूर्व खातेदार चौधीलाल पुत्र हरिराम मीना निवासी भोटवाडा जो कि प्रतिवादी न0 1 भौरोलाल का खास भाई है से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2014 को खरीद


किया है। उसी समय मौके पर जहाँ चौथीलाल का कब्जा था उसी अनुसार वादी को मौके पर कब्जा करा दिया था। इस प्रकार वादी विक्रय के समय से ही आज तक मौके पर काबिज है तथा वादी के हिस्से का अलग खेत बना हुआ है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संवध नहीं है। बाँका दिनांक 30.06.2019 को वादी अपनी आराजी कब्जे व हिस्से की भूमि पर पक्की बाउन्ड्री कर रहा था तब प्रतिवादी न० 1 ता 5 आये और वादी को ऐलानिया धमकी दी की तुझे बाउन्ड्री नहीं करने देगे, नाहि भूमि को काश्त करने देगे। वादी ने उनको काफी समझाया लेकिन वे नहीं माने ओर झगडा किया इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी न० 1 बावत डिवीजन आफ होल्डिंग डिक्री किया जाकर ग्राम भौटवाडा स्थित आराजी ख०न० 799/0.16, 800/0.13 है० मे वादी का हिस्सा 1/ मुताबिक खातेदारी कब्जा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर अलग खाता कायम किया जावे। तथा प्रवितादी न० 1 ता 5 को स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की उक्त आराजी मे खातेदारी व कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न० 5 व 6 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न० 1,2,3 की ओर से जरिये वकील जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भौटवाडा मे होना स्वीकार है जिसमे प्रतिवादी न० 1 की 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है मौके पर काबिज एवं दखिल है। वादपत्र मे और तथ्य तहरीर किये गये है वह गलत होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि कैलाशी अपने परिवार व पुत्रों के माध्यम से अपने 1/ हिस्से से अधिक प्रतिवादी न० 1 के हिस्से की कब्जे की आराजी को हडपना चाहती है। और जबरन पक्का निर्माण करना चाहती है। जिनका प्रतिवादी ने विरोध कियाउक्त आराजीयात के बावत बटवारे का दावा पेश किया जिससे बचने के लिये वादीया ने गलत तथ्य पेश कर यह दावा पेश किया है। आराजी ख०न० 799/0.16, 800/0.13 है० मे प्रतिवादी न० 1 भैरोलाल 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। काबिज एवं दखिल है। जिसका मुताबिक मौके पर ख०न० 800 रकवा 0.13 है० सम्पूर्ण भाग तथा ख०न० 799 रकवा 0.16 है० बतरफ ख०न० 800 के सडक के सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ अलग से तकास्मा कराये जाने का प्रतिवादी न० 1 अधिकारी है अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीया का दावा खारिज फरमाते हुये प्रतिवादी न० 1 के काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये आराजी ख०न० 799/0.16 है०, 800 रकवा 0.13 है० कुल रकवा 0.29 है० का प्रतिवादी न० 1 भैरोलाल के 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड अलग खाता कायम किया जावे।



वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भौटवाडा स्थित आराजीयात 799/0.16, 800/0.13 है० कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 है० मे वादी का 1/2 हिस्सा के तथा प्रतिवादी न० 1 हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी न० 1 मे मध्य आराजीयात का विधिवत बटवारा नहीं होने से प्रतिवादी न० 1 के पुत्र व पति जबरन वादी की बुजुर्गी का नाजायज फायदा उठाकर वादी के 1/2 हिस्से को हडपना चाहते है क्योंकि उक्त आराजीयात ग्राम भौटवाडा के आम रास्ते के सहारे है। इसलिये प्रतिवादीगण, वादी को परेशान करते रहते है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी न० 1 द्वारा मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है जिसमे वादी का ख०न० 800 रकवा 0.13 है० के सम्पूर्ण भाग पर तथा खसरा न० 799 रकवा 0.16 है० मे से 0.02 है० सडक के सहारे व तरफ ख०न० 800 के सहारे काबिज है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नहीं होने से वादी से प्रतिवादीगण आये दिन झगडा करते रहते है। बाँका दिनांक 25.06.2019 का है कि वादी अपनी आराजीयात मे फसल बुवाई के लिये गया तो देखा कि प्रतिवादीगण मौके पर मजदूरो से पुख्ता निर्माण करने के लिये नीव खुदवा रहा था तो वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण नाराज होकर गाली गलौच करने लगे और वादी को प्रतिवादी न० 2 ता 4 ने जान से मारने की धमकी दी और वादी के हिस्से मे जबरन पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी वादी


उपजिला कलेक्टर
डोडाभीम (करोली)

प्रतिवादी न० 1 से तहसील में चलकर बटवारा करने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इस कारण से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा इस प्रकार प्राथमिक डिकी किया जावे कि ग्राम भौटवाडा स्थित आराजी ख०न० 799/0.16, 800/0.13 है० में वादी के 1/2 हिस्सा जो सडक के सहारे वादी का 0.14 है० पर कब्जा है। कब्जानुसार बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विधिवत तकास्मा कराये बिना किसी प्रकार मौके पर निर्माण नही करे एवं वादी को बेदखल नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न० 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नही इसलिये इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न० 1 ता 4 की और से जरिये वकील जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि प्रतिवादी कैलाशी देवी विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। वादी का दावा खारिज करते हुये आराजी ख०न० 799, 800 कुल रकवा 0.29 है० में 1/2 हिस्से की कब्जानुसार बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर प्रति दावा डिकी किया जावे।


वकील उभयपक्ष ने एक मत से कथन किया कि दोनो प्रकरण समान पक्षकार एवं समान आराजीयात और तकास्मा से संबधित है इसलिये पूर्व के दर्ज मुकदमे में हमफीता कर मुताबिक हिस्सा पक्षकारान तकास्मा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी फरमा दिये जावे।

वकील उभयपक्षकारान की सहमति दर्ज कराने पर खातेदारान की आराजीयात का अलग-अलग खाता कायम कराने हेतु दावा प्राथमिक डिकी कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीशनर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्षकारान ने अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिकी करने का कथन किया। वकील उभयपक्षकारान की सहमति पर बटवारा स्कीम के अनुसार दावे फाईनल डिकी किये जाते है।

अतः कैलाशी देवी पत्नि रामसिंह जाति मीना निवासी भौटवाडा को ग्राम भौटवाडा की आराजी ख०न० 799 रकवा 0.1450 है० का तथा भैरोलाल पुत्र हरीराम जाति मीना निवासी भौटवाडा को ख०न० 799/1 रकवा 0.0150 एवं 800 रकवा 0.1300 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उभयपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की जमीन के हिस्से में मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। निर्णय की प्रति दोनो मुकदमों में शामिल की जावे।



निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप-जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

